बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ०प्र०–2–247/2019 1092 /पटना, दिनांक :– 12-8-21

श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली को कार्य प्रमंडल, रजौली अंतर्गत एन0एच0–31 से प्राणचक ग्राम पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराने तथा अंततः कराया गया अनुरक्षण कार्य अत्यंत निम्न गुणवत्ता का होने एवं नरहट प्रखंड के खनवा पंचायत अंतर्गत खुशहाल बिगहा ग्राम को नरहट सिरदला मुख्य पथ से जोड़ने वाले संपर्क पथ पर निर्मित पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात बहाल करने हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोपों के लिए अधिसूचना संख्या–3705 दिनांक 23.12.2019 द्वारा निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कर विभागीय पत्रांक 207 अनु0 दिनांक 09.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 24.01.2020 की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और समीक्षोपरान्त श्री राय का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप उसे अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1007 दिनांक 02.06.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री प्रवीण कुमार सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 4058 दिनांक 21.08.2020 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री राय के विरूद्ध गठित उक्त पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराने संबंधी आरोप को श्री राय के प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् संवेदक को डीबार करने एवं एकरारनामा विखंडित कर काली सूची में नाम डालने हेतु विभाग को अनुशंसा कर ससमय अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई किये जाने एवं क्षतिग्रस्त पुलिया संबंधी आरोप के संबंध में अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित पथ के अनुरक्षण कार्य का विपत्र 25.12.2019 को तैयार कर भुगतान किये जाने के आधार पर अप्रमाणित पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयी:–

(i) श्री राय के बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् संवेदक को डीबार करने एवं एकरारनामा विखंडित कर काली सूची में नाम डालने हेतु विभाग को अनुशंसा कर ससमय अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई किये जाने के आधार पर गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया है। किन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि श्री राय के द्वारा कार्य प्रमंडल, रजौली का प्रभार दिनांक 11.12.2018 को ग्रहण किया गया था, जिसके दस माह पश्चात् राय के द्वारा संवेदक को एकरारनामा विखंडन एवं

काली सूची में नाम डालने के संदर्भ में नोटिस दिया गया है, जबकि संवेदक द्वारा प्रश्नगत् पथ का अनुरक्षण दिनांक 23.08.2016 से ही नहीं किया जा रहा था। इससे पूर्व भी संवेदक को पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा नोटिस दिया जा चुका था। ऐसी स्थिति में संवेदक को और अवसर देने का कोई औचित्य नहीं था। चूँकि विगत तीन वर्षों से संवेदक द्वारा पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा था, तो राय का यह दायित्व था कि प्रश्नगत् प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करने के तुरंत बाद संवेदक के एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई की जाती, जबकि राय के द्वारा काफी विलंब से माननीय मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में मामला प्रकाश में आने के पश्चात् कार्रवाई की गई है। इस आधार पर उक्त पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराने संबंधी आरोप के संदर्भ में श्री राय के बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

(ii) श्री राय के विरूद्ध क्षतिग्रस्त पुलिया संबंधी आरोप के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के बचाव बयान में प्रस्तुत तथ्यों को ही सही मानते हुए आरोप को अप्रमाणित माना गया है। श्री राय का इस आरोप के प्रसंग में कथन है कि अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित पथ के अनुरक्षण कार्य का विपत्र 25.12.2019 को तैयार कर भुगतान किया गया है। किन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि श्री राय के निलंबन के उपरान्त उक्त विपत्र को पारित किया गया है। जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा यातायात बहाल करने हेतु दिये गये निदेश का अनुपालन के संबंध में श्री राय के द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर क्षतिग्रस्त पुलिया संबंधी आरोप के संदर्भ में श्री राय का बचाव बयान संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री राय से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(2) के तहत विभागीय पत्रांक–619 अनु0 दिनांक 24.03.2021 द्वारा उक्त असहमति के बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री राय द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 26.03.2021 समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्य प्रमंडल, रजौली अन्तर्गत एन0एच0–31 से प्राणचक ग्राम तक पथ दिनांक 23.08.2016 से ही पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में था। उनके द्वारा कार्य प्रमंडल, रजौली में दिनांक 11.12.2018 को प्रभार ग्रहण किया था तथा पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण दिनांक 26.12.2018 को ही संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा पत्रांक 1720 दिनांक 26.12.2018 द्वारा कर दिये थे। विभाग द्वारा संवेदक को डिबार करने में विलम्ब हुआ तो उनके पत्रांक 700 दिनांक 01.08.2019 के द्वारा पुनः डिबार हेतु अनुशंसा विभाग को भेजा गया। इसके बाद एकरारनामा प्रावधान के नियमानुसार दो Termination Notice संवेदक को क्रमशः 26.10.2019 एवं 13.11.2019 को उनके द्वारा दिया गया तथा इसके बाद संवेदक का एकरारनामा दिनांक 18.12.2019 को विखंडित कर प्रमंडल में संवेदक के जमा राशि को जब्त करते हुए काली सूची में नाम डालने हेतु विभाग को अनुशंसा कर दिये थे। इस प्रकार उनके द्वारा प्रभार प्रहण दिनांक 11.12.2018 के 15 दिन में ही दिनांक 26.12.2018 को डिबार

हेतु अनुशंसा की कार्रवाई करना विलंब नहीं कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उनके प्रभार ग्रहण दिनांक 11.12.2018 के पूर्व यानि दिनांक 23.08.2016 से 10.12.2018 तक संबंधित पथ का अनुरक्षण नहीं करने पर संवेदक को पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इसलिए यह आरोप सही नहीं है।

आरोप पत्र में वर्णित पथ में कोई पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था और संबंधित पथ में आवागमन भी बाधित नहीं हुआ था। संबंधित पथ के अनुरक्षण कार्य का भुगतान विपत्र बनाकर अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 25.12.2019 को ही किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनका निलंबन दिनांक 23.12.2019 को हुआ था। निलंबन के एक दिन बाद ही अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित पथ के अनुरक्षण कार्य का भुगतान दिनांक 25.12.2019 को किया गया है। यदि पथ में पुलिया क्षतिग्रस्त रहता और आवागमन बाधित रहता तो अनुवर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा वित्तीय राशि का भुगतान नहीं किया जाता। जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा संबंधित पथ में पुलिया के क्षतिग्रस्त के संबंध में कोई निर्देशित पत्र उन्हें नही दिया गया था। इसलिए यह आरोप भी सही नहीं है।

7. श्री राय के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि श्री राय द्वारा कार्य प्रमंडल, रजौली का प्रभार दिनांक 11.12.2018 को ग्रहण किया गया था, जिसके दस माह पश्चात् श्री राय द्वारा संवेदक को एकरारनामा विखंडन एवं काली सूची में नाम डालने के संदर्भ में नोटिस दिया गया है, जबकि संवेदक द्वारा प्रश्नगत् पथ का अनुरक्षण दिनांक 23.08.2016 से ही नहीं किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में संवेदक को और अवसर देने का कोई औचित्य नहीं था। श्री राय के बचाव बयान में उल्लेख किया गया है कि उनके प्रभार ग्रहण दिनांक 11.12.2018 के पूर्व यानि दिनांक 23.08.2016 से 10.12.2018 तक संबंधित पथ का अनुरक्षण नहीं करने पर संवेदक को पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो सही नहीं है। संचिका में संधारित अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 569 दिनांक 16.05.2018 द्वारा संवेदक को नोटिस दिया गया था। चूँकि विगत तीन वर्षों से संवेदक द्वारा पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा था, जिसके कारण पथ का **Bituminous** कार्य जगह–जगह उखड़ रहा था तथा पथ में काफी **Undulation** हो गया था, तो ऐसी स्थिति में श्री राय का दायित्व था कि प्रश्नगत् प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करने के तुरंद बाद संवेदक के एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई की जाती, जबकि श्री राय द्वारा काफी विलंब से माननीय मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में मामला प्रकाश में आने पश्चात् एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई की गई है, जो श्री राय के कर्त्तव्यहीनता एवं दायित्व के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

8. क्षतिग्रस्त पुलिया के संबंध में उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 2397 दिनांक 19.12.2019 में स्पष्ट उल्लेख है कि माह सितम्बर 2019 में आये बाढ़ के दौरान खनवा पंचायत अंतर्गत खुशहाल बिगहा ग्राम को नरहट सिरदला मुख्य पथ से जोड़ने वाले संपर्क पथ पर निर्मित पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी टोला का

संपर्क मुख्य पथ से अवरूद्ध होने के फलस्वरूप इस पुलिया के निर्माण हेतु श्री राय को आवश्यक निर्देश दिये गये थे, जबकि श्री राय का कहना है कि जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा संबंधित पथ में पुलिया के क्षतिग्रस्त के संबंध में कोई निर्देशित पत्र उन्हें नहीं दिया गया था तथा संबंधित पथ में कोई पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था और ना ही आवागमन बाधित हुआ था, जिसे मान्य नहीं किया जा सकता है।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली (निलंबित) के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत कर इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(ii) एवं 14(vi) के तहत पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. तदालोक में श्री राय को विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा निलंबन से मुक्त कर दिया गया है।

11. श्री राय के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 694 अनु0 दिनांक 15.04.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 851 दिनांक 12.07.2021 द्वारा उक्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन)नियमावली, 2007 के नियम 14(ii) एवं 14(vi) के तहत पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12.8.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–247/2019 1093 /पटना, दिनांक :– 12-8-21

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

12.8.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–247/2019 1093 /पटना, दिनांक :– 12.8.21

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.8.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–247/2019 1093 /पटना, दिनांक :– 12-8-21

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 851 दिनांक 12.07.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

12.8.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–247/2019 1093 /पटना, दिनांक :– 12-8-21

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, गया/दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली/दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.8.21

उप सचिव